

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल

नम्बर व
अहकाम जो
की तामीर में

29-4-22

पत्रावली अंगण पेश हुई। वादी
वकील अनुपस्थित। न्यायालय
समय में रुक रुक कर कारका
अंगणों लागू कयी गयी। परन्तु
ना तो वादी वकील और ना ही
स्वयं वादी उपस्थित हुये। अतः
पत्रावली सिविल प्रक्रिया संहिता
के अंगण 9 नियम 3 (अदम
पैरवी अदम टाबरी) के तहत
रकारित की जाती हैं। पत्रावली
फैसल में शुमार है नम्बर से
कम की जाकर दारिमात दफ्तार
है।

Wb.

